प्रत्यक्ष कृषि उधारों के कम से कम 50 प्रतिशत तक पहुंच जाने चाहियें ।

(3) 25,000 रुपये समेत तक की ऋण सीमाओं वाले सभी उद्योगों को इस श्रेणी के अंतर्गत कमजोर वर्ग माना जाएगा । ऐसे कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अग्रिम, 1985 तक, लघु उद्योगों को दिए जाने वाले समग्र अग्रिमों के कम से कम 12.5 प्रतिशत तक पहुंच जाने चाहियें ।

(4) विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन, समाज के सबसे कमजोर वर्गों को, उचित उत्पादक कार्यों के वास्ते, नाम मात्र की ब्याज दर पर, अग्रिम प्रदान किया जा रहा है । बैंकों द्वारा ऐसे अग्रिमों को पिछले वर्ष के अंत में कुल ऋणों के कम से कम एक प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिए ।

(5) जिलों में कार्य कर रही सभी वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी में, लीड बैंक, अपने लीड जिलों के वास्ते, ऋण आयोजनाएं तैयार कर रहे हैं तथा उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं ।

पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल से ज्ञापन

10401. **श्री मंगल राम प्रेमी :**
श्री उत्तम भाई पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने उनसे अनुरोध किया है कि एक निबंध व्यापार क्षेत्र की स्थापना की जानी चाहिए और निर्यातोन्मुख उद्योगों को 5 से 7 वर्ष तक के लिए कराधान से छूट मिलनी चाहिए ;

(ख) क्या उपरोक्त मंडलों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया है और इस बारे में हाल ही में अपनी मांगें रखी हैं ;

(ग) क्या इस ज्ञापन में यह सुझाव दिया गया है कि निर्यात को बढ़ाने के प्रयास इस प्रकार किए जाने चाहिए ताकि इस से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ;

(घ) यदि हां, तो इस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उपरोक्त ज्ञापन में निहित सुझावों और मांगों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) से (ग). पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने 1981-82 के संबंध में केन्द्रीय बजट-प्रस्तावों पर टिप्पणियों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था । मंडल ने, अपने ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया है कि मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली कर छूट की अवधि, उस वर्ष से कम से कम 8 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जानी चाहिए जिस वर्ष इकाइयां कर-निर्धारण योग्य लाभ अर्जित करती हैं और यह कर-छूट, उत्पादन और निर्यात के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मुहिया की गई अन्य कर-रियायतों और राहत के अतिरिक्त होनी चाहिये, न कि उन लोगों के बदले में जैसी कि वित्त विधेयक में परिकल्पना की गई है, आगे यह भी सुझाव दिया गया है कि विदेशी मुद्रा की आमदनी की दृष्टि से निर्यात अभियान को व्यापक और लाभप्रद बनाने के लिए देश में कहीं भी स्थापित की गई 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों को, कुछ और प्रोत्साहन भी दिये जाने चाहिए ।

(घ) ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य बातें संलग्न विवरण में बतायी गई हैं ।

(ङ) मंडल द्वारा दिये गये सुझावों पर, अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुए ऐसे ही सुझावों के साथ विचार किया गया । उन पर सरकार की प्रतिक्रिया उन प्रस्तावों में प्रतिबिम्बित होती है, जिनका उद्देश्य संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित- वित्त विधेयक, 1981 में निहित उपबन्धों में संशोधन करना है ।

विवरण

1. आयकर की छूट सीमा को मुद्रा स्फीति से सम्बद्ध किया जाना चाहिए तथा आय खण्डों की मौजूदा दरों को बनाए रखा जाना चाहिए । अधिकतम सीमान्त दर को घटा कर यदि अधिक नहीं तो कम से कम 60 प्रतिशत किया जाना चाहिए ।

2. धनकर की छूट सीमा को, 1.5 लाख रु. की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 3 लाख रु. किया जाना चाहिए ।

3. विकास तथा अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कम्पनी कराधान को कम किया जाना चाहिए तथा दरों को मौजूदा स्तरों से काफी कम कर दिया जाना चाहिए जिससे यह अन्ततः 50 प्रतिशत रह जाय जिसमें अधिभार भी शामिल हो ।

4. अनिवार्य जमा योजना के लिए छूट सीमा को 24,000 रु. तक बढ़ा दिया जाना चाहिए ।

5. बढ़ाई गयी मानक कटौती का लाभ उन कर निर्धारितियों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिन्हें उनके नियोक्ता द्वारा वाहन दिये जाते हैं ।

6. लाभों का पता लगाया जाने के बाद अति कर की अदायगी की मौजूदा अपेक्षा को जारी रखा जाना चाहिए ।

7. विश्व के देशों में अत्याधिक प्रतियोगी बाजारों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नीति का पालन करने में निर्यातकर्ताओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिये बजाय इसके कि सरकार कार्यकलाओं को निश्चित करके उसके क्षेत्र को संकुचित करे जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में संकेत किया है ।

8. मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यातोन्मुख इकाइयों को मंजूर की गई कर की अवधि उस वर्ष से कम से कम 8 वर्ष तक बढ़ायी जानी चाहिए जिसमें इकाई कर लगने योग्य लाभ अर्जित करती है और यह छूट उत्पादन और निर्यात के लिये आयकर अधिनियम में दी गई कर की अन्य रियायतों तथा राहतों के अलावा होनी चाहिए न कि उन लाभों के बदले में जैसी कि परिकल्पना की गई है। विदेशी मुद्रा अर्जन के अनुसार निर्यात अभियान को व्यापक और लाभप्रद बनाने के लिए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को, चाहे वे देश में कहीं भी स्थापित हों, कर में कुछ रियायतें दी जानी चाहिएं ।

9. बैंक में जमा रकमों पर ब्याज की दर में की गयी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक भविष्य निधि की जमा रकमों पर भी ब्याज की दर को बढ़ाया जाना चाहिए । नये 12 प्रतिशत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों को भी, भविष्य निधि रकमों के पूंजी-निवेश के प्रयोजनार्थ शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि निधि के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिकआय उपलब्ध होगी ।

10. ऐसी इकाईयों को, जो स्वयं बिजली उत्पन्न करने के लिये मशीनें लगाती हैं, करों में अतिरिक्त प्रोत्साहन दे कर बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

11. कम्पनियों में न्यासों द्वारा किये जाने वाले पूंजीनिवेश को कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिये जारी रखे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

12. आयकर अधिनियम की धारा 40 क (8) का कोई औचित्य नहीं है तथा सम्पूर्ण ब्याज पर कम्पनी के हाथों में एक स्वीकार्य व्यय के रूप में छूट दी जानी चाहिए ।

13. पूंजीगत लाभ को, यदि उत्पादनशील औद्योगिक उपक्रमों की सामान्य शेयर पूंजी में, अथवा यूनिटों में अथवा बैंक में जमा रकमों में अथवा नये चालू किये गये राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों में अथवा अन्य विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है तो उन्हें भी कर से छूट मिलनी चाहिए । दीर्घकालीन पूंजीगत लाभों के लिये भी छूट-सीमा 5,000 रु. से बढ़ाकर 15,000 रु. कर दी जानी चाहिए ।

14. प्रोत्साहकों द्वारा रखे गये अधिक सामान्य शेयरों को उनसे लेने का विकल्प उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिसका इस्तेमाल उनके द्वारा 3 से 5 वर्षों के बीच किया जायगा ।